

कोर्ट मार्शल

प्रलिस के लयः

कोर्ट मार्शल, न्यायालयी जाँच (कोर्ट ऑफ इनक्वायरी), सशस्त्र बल (वशेष शक्तयों) अधनियम, FIR, दंड प्रक्रया संहति ।

मेन्स के लयः

आरोपयों के लयः कोर्ट मार्शल और वैधानक शरण ।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के शोपयों ज़ल्लि के अमशीपोरा में तीन लोगों की हत्या में शामिल एक कैप्टन को सैन्य न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई । हालाँकि उत्तरी सेना के कमांडर द्वारा पुष्ट कयः जाने के पश्चात् सज़ा को अंतम रूप दयः जाएगा ।

- न्यायालयी जाँच (Col) के पश्चात् कैप्टन का कोर्ट-मार्शल कयः गया था और बाद में सबूतों का वशिलेषण करने पर पाया गया कि कैप्टन के आदेश के तहत सैनकों ने सशस्त्र बल (वशेष शक्तयों) अधनियम के अंतर्गत अपने अधिकार की सीमा को पार कयः था ।

कोर्ट मार्शल की प्रक्रया:

- जब सेना चाहती है कि उसके कर्मयों के खलऱाफ लगे आरोपों की जाँच हो, तो वह पहले इस उद्देश्य की पूर्तऱा के लयः एक न्यायालयी जाँच (Col) सुनश्चितऱा करती है ।
 - यह चरण पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के समान है ।
- न्यायालयी जाँच शकऱायत की पुष्टऱा करती है लेकिन सज़ा नहीं दे सकती । COI गवाहों के बयान दर्ज करती है, जो दंड प्रक्रया संहति (CRPC) की धारा 161 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा गवाहों की जाँच के समान है ।
- COI के नषिकर्षों के आधार पर आरोपी अधिकारी के लयः कमांडगि ऑफसर द्वारा एक अस्थायी आरोप पत्र तैयार कयः जाता है ।
 - उसके बाद आरोपों को सुना जाता है (जैसे नागरकों से जुड़े मामले में मजसिद्रेट द्वारा अभयुक्त को प्रारंभकऱा समन देना) फसऱाक्षय का सारांश दर्ज कयः जाता है ।
- एक बार यह प्रक्रया पूरी हो जाने के बाद एक **जनरल कोर्ट मार्शल (General Court Martial- GCM)** को नागरकऱा मामलों के लयः न्यायकऱा अदालत द्वारा परीक्षण के संचालन के समान आदेश दयः जाता है ।

कानूनी प्रावधान:

- सेना अधनियम 1950 की धारा 164 के तहत अभयुक्त एक पूर्व-पुष्टऱा यऱाचकऱा के साथ-साथ एक पश्च-पुष्टऱा यऱाचकऱा दायर कर सकता है ।
 - पूर्व-पुष्टऱा यऱाचकऱा सेना कमांडर को भेजी जाएगी, जो इसकी वशेषताओं पर वऱाचार करेगा ।
 - चूँकि अधिकारी को बरखास्त कर उसकी रैंक छीन ली जाती है और उसे सेवा से नकऱल दयः जाता है तथा सेना के कमांडर द्वारा सज़ा की पुष्टऱा करने के बाद सरकार को सफऱारसऱा की जाती है ।
- इन वकऱल्पो के समाप्त हो जाने के बाद अभयुक्त सशस्त्र बल अधिकरण का दरवाज़ा खटखटा सकता है, जो सज़ा को नलऱंबतऱा कर सकता है ।
 - उदाहरण के लयः वर्ष 2017 में अधिकरण ने वर्ष 2010 के माछलऱा फरज़ी मुठभेड़ मामले में दो अधिकारयों सहति पाँच सैन्यकर्मयों को दी गई उमरकैद की सज़ा को नलऱंबतऱा कर दयः था ।

स्रोत: जनसत्ता

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/court-martial>

